

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
112/2023

दायर दिनांक  
04.04.2023

निर्णय दिनांक  
30.01.2024

उनवान

1. नाराण पुत्र श्री नोला गाडरी आयु वयस्क निवासी- किशनावतो की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र श्री बगतावर गाडरी आयु वयस्क निवासी किशनावतो की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नारु पुत्र श्री बगतावर गाडरी आयु वयस्क निवासी किशनावतो की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. बदरी पुत्र श्री बगतावर गाडरी आयु वयस्क निवासी किशनावतो की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. दल्लीचन्द पुत्र श्री बगतावर गाडरी आयु वयस्क निवासी- किशनावतो की खेड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सुभाष पुत्र श्री प्यारचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी- विश्नोई मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. चन्द्रकलौ पुत्री श्री प्यारचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी विश्नोई मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. छाऊ देवी पत्नी श्री भंवर लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी- विश्नोई मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज०)

-विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी उदय सिंह चारण

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरडा प०ह० गटिलाखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 331 की अभिलिखित आराजियात 50/1, 60

  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन


कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 05, 07, 08, 09 के विरुद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। शेष विपक्षीगण बावजूद तामिल के आदिनांक को अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बोरडा प0ह0 गटिलाखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 331 की अभिलिखित आराजियात 50/1, 60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अधिकारी  
भीलवाडा